अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 125/16–17

जयप्रकाश रविदास बनाम् कुलदेव रविदास

25-10-18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक जय प्रकाश रविदास, पे0–स्व0 भोला रविदास, ग्राम–पंजराडीह, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–पंजराडीह नं0–250, जमाबंदी नं0–11, दाग नं0–397, कुल रकवा– 00–10–10 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु प्रारंभ किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन किया। प्रथम पक्ष ने आवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा– पंजराडीह नं0–250, जमाबंदी नं0–11, दाग नं0–397, रकवा–00–10–10 धूर जमीन गेंजर सेटलमेंट पर्चा में मो0 गेनीया, जौजे मोहन चमार व सुखदेव चमार वो जगरनाथ चमार वो बैद्यनाथ चमार, पे0–मदन चमार वो रघु चमार वो गोनु चमार, पे0–मारथ चमार के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के वंशज हैं तथा जमाबंदी रैयत के वंश वृक्ष से आते हैं। उक्त मौजा की जमीन का बटवारा जमाबंदी रैयत के वारिशान के बीच पूर्व में ही कर लिया गया है एवं अपने अपने जमीन का उपयोग तथा खजाना जमा करते आ रहे हैं। विपक्षीगण बाहरी एवं दबंग प्रवृति के व्यक्ति हैं तथा उक्त जमीन जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है। विपक्षीगण उक्त भूमि को खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। अंत में आवेदक द्वारा विवादित भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त प्रक्रिया विपक्षीगण पर चलने लायक नहीं है, क्योंकि उभय पक्ष एक ही वंशावली एवं जमाबंदी में आते हैं। मौजा– पंजराडीह नं0–250, जमाबंदी नं0–11 के अंतर्गत द्वारा दाग नं0–397, रकवा– 00–10–10 धूर जमीन मो0 गेनीया जौजे मोहन चमार व सुखदेव चतार वो जगरनाथ चमार वो बैद्यनाथ चमार, पे0–मदन चमार वो रघु चमार वो गोनु चमार, पे0–मारथ चमार के नाम से दर्ज है जो आवेदक एवं विपक्षीगण के पूर्वज हैं एवं जमाबंदी रैयत के वंशावली से आते हैं। आवेदक जमाबंदी रैयत जगरनाथ चमार के वंशज हैं, जबकि विपक्षीगण जमाबंदी रैयत रघु चमार के वंशज हैं। विपक्षी कुलदेव रविदास की माता देवली देवी को जमाबंदी रैयत रघु चमार ने शादी के पश्चात् अपने जीवनकाल में विवादित जमीन बटवारे में दे दिया है। इसमें किसी जमाबंदी रैयत के वारिशान को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक जयप्रकाश रविदास बराबर तंग–तबाह करने के लिए विपक्षी पर मुकदमा करते रहते हैं। अंत में विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त वाद में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 49 एक ही जमाबंदी के वंशज होने के कारण लागू नहीं होता है। अतः वाद की प्रक्रिया को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अभिलेख के अवलोकन एवं विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से ज्ञात होता है कि आवेदक द्वारा दिनांक–16.10.2017 को विवादित भूमि का कागजात जमा करने हेतु समय की मांग की गई है, परन्तु कागजात जमा नहीं किया गया है। इसके बाद आवेदक विगत दिनांक–08.02.2018 से अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा वाद की पैरवी में कोई अभिरूचि नहीं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को वाद में अभिरूचि नहीं रह गई है। अतः उचित पैरवी के अभाव में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25.10.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

25.10.18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
25/10/18